क्रम संख्या–50 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 मार्च, 2019 ई0

फाल्गुन 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 69/XXXVI (3)/2019/11(1)/2019

देहरादून, 07 मार्च, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 05 मार्च, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 04 वर्ष, 2019** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2019)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृति के संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1860) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 1 का प्रतिस्थापन

2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः-

1. संगम ज्ञापन के माध्यम से गठित सोसाइटी और उसका रजिस्ट्रीकरणः- किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए अथवा इस अधिनियम की धारा 20 में यथावर्णित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए सहयुक्त कोई सात अथवा उससे अधिक व्यक्ति संगम ज्ञापन एवं नियमावली के ऑनलाईन प्रारूप में अपने नामों के डिंजीटल हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रार के पास ऑनलाईन दाखिल करके इस अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में अपने को संगठित कर सकेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः-

3. रजिस्ट्रीकरण और फीसः- (1) ज्ञापन में प्रतिश्रुत करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय का पता, जो रजिस्ट्रीकृत पते पर होगा, के विवरणों सहित ऐसा ज्ञापन और इसकी डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रति दाखिल किए जाने पर, रजिस्ट्रार अपने डिजीटल हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है। प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को पॉच हजार पॉच सौ पचास रूपये की फीस अदा की जाएगी।

प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण हेतु युवा/महिला मंगलदल, महिला समूह/सामुदायिक समूह हेतु रूपये पचास की फीस अदा की जाएगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस बढ़ा सकेगी।

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, ऑफलाईन सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हे वह उपयुक्त समझे, को ऑफलाईन सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हे वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करें।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार के द्वारा, पंजीकरण हेतु ऑनलाईन स्वीकृति दिये जाने के उपरांत, निर्धारित फीस को ऑनलाईन जमा कराया जायेगा। निर्धारित फीस को जमा कराने के उपरांत डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण पत्र को आवेदक के द्वारा, डाउनलोड किया जा सकेगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नवत् धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

धारा 5 'क' का अंतःस्थापन

"5–क. सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन–

(1). किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय अथवा इसके सदस्यों में से किसी के लिये न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी सोसाइटी से संबंधित किसी स्थावर सम्पत्ति का अंतरण करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2). उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण I– इस धारा के प्रयोजनों के लिये "न्यायालय" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि धारा 13 में समनुदेशित किया गया है।

स्पष्टीकरण–II– इस धारा के प्रयोजनों के लिये "अन्तरण" शब्द से अभिप्रेत है:–

(क)– बंधक, प्रभार, विक्रय, दान अथवा विनिमय;

(ख)–पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिये पट्टा; अथवा

(ग)– अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति।"

5. मूल अधिनियम की धारा 19 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

धारा 19 का प्रतिस्थापन

19. दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियॉः–

कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रत्येक निरीक्षण के लिए तीन सौ रूपये की फीस अदा करके, कर सकेंगे, और कोई व्यक्ति दस्तावेज अथवा किसी दस्तावेज के किसी भाग की किसी प्रति अथवा उद्धरण को (रूपये सौ प्रति पृष्ठ सामान्य फीस तथा रूपये दो सौ प्रति पृष्ठ आवश्यक फीस) अदा करके रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रति उसमें अंतर्विष्ट मामलों के लिए सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय–समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन संदेय फीस बढ़ा सकेगी।

आज्ञा से,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 69/XXXVI(3)/2019/11(1)/2019
Dated Dehradun, March 07, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2019' (Act No. 04 of 2019).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 March, 2019.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT, 2019

(Uttarakhand Act No. 04 of 2019)

An

Act

further to amend the Societies Registration Act, 1860 (Act nc. 21 of 1860) in its application to the State of Uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called The Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

2. **In Societies Registration Act, 1860, (which is hereinafter referred to as Principal Act) the Section 1 shall be Substituted as follows, namely:-**

Substitution of Section 1

1. Societies formed by memorandum of association and registration:- Any seven or more persons associated for any literary, scientific or chariatable purpose, or for any such purpose as is described in Section 20 of the Act, may, by digital signature of their name in online form of Memorandum of Association and rules filing the same online with the Registrar form themselves into a society under this Act.

3. **In Principal Act sub Section 1 of Section 3 shall be substituted as follows, namely-**

Amendment of Section 3

3. Registration and fees (1)- Upon such memorandum and its digitally signed copy being filed alongwith particulars of the address of Society office which will be registered address, by the Secretary of the Society on behalf of the persons subscribing to the memorandum, the Registrar shall certify under his digital signature that the society is registered under this Act. For every such registration fees of five thousand five hundred and fifty rupees shall be paid to Registrar. For every such registration for Youth/Women Mangal Dal, Women Group/Community Group fees of fifty rupees shall be paid.

Provided further that the State Government may, by notification in the Official Gazette, increase from time to time the fee payble under this sub-Section.

Provided further that the Registrar may, in his discretion, issue public offline notice or issue offline notices to such persons as he thinks fit inviting offline objections, if any against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the society.

The prescribed fee of registration shall be submitted online after the online approval of registration by the Registrar. After depositing the prescribed fees, the digitally signed Society Registration Certificate shall be downloaded by the applicant.

4. In Principal Act after Section 5 the following Section shall be inserted, namely-

Insertion of Section 5 A

"**5 A.** Restriction on transfer of property-

(1) Notwithstanding anything contained in any law, contract or other instrument, it shall not be lawful for the governing body of a society registered under this Act or any of its members to transfer, without the previous approval of the court, any immovable property belonging to any such society.

(2) Every transfer made in contravention of sub Section (1) shall be void.

Explanation-I- For the purposes of this Section the word 'court' shall have the meaning assigned to it in Section 13.

Explanation-II- For the purposes of this Section the word 'transfer' means-

(d) a mortgage, charge, sale, gift or exchange.

(e) lease for term exceeding five years; or

(f) irrevocable licence."

5. In Principal Act Section 19 shall be substituted as follows, namely-

Substitution of Section 19

19- Inspection of documents, Certified copies:-Any person may inspect all document files with the Registrar under this Act on payment of a fee of three

hundred rupees for each inspection; and any person may require a digitally signed copy or extract of any documents or any part of any documents, to be digitally certified by the Registrar on payment of rupees one hundred as ordinay fee and rupees two hundred as urgent fee for every A4 size page of such copy or extract and such digital signed copy shall be *prima facie* evidence of the matters therein contained in all legal proceedings whatever.

Provided further that the State Government may, by notification in the Official Gazette, increase from time to time the fee payble under this sub-Section.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में संशोधन किये जाने विषयक ज्ञापन

कारण एवं उद्देश्य

1. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5 'क' राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 की तर्ज पर पूर्व में दिनांक 02.07.2014 को निरसित कर दी गयी थी। वर्तमान में उक्त धारा के निरसित किये जाने से सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी एवं सदस्यों के मध्य परिसंपत्ति के अनावश्यक विवादों को रोकने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 5 'क' को अंतःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

   उक्त के अतिरिक्त "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (Ease of doing business)" के अंतर्गत वर्तमान में फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के कार्यों को ऑनलाईन किया जा चुका है, जिस कारण वर्तमान में विभाग के समस्त पंजीकरण/नवीनीकरण आदि समस्त कार्य ऑनलाईन सम्पादित किये जा रहे हैं। इस प्रकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के कतिपय प्राविधान को संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिस कारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रकाश पंत
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी / 160—2019—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।